

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन

सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक- 1431/386/आउशि/शा-2/22
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14/6/22

समस्त प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय:-शैक्षणिक अधिकारियों के ई.आर.सीट में दिव्यांगता की श्रेणी इन्द्राज करने के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत लेख हे, कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक अधिकारियों की दिव्यांग आरक्षण अधिनियम के अनुरूप तीनों श्रेणीओं में कार्यरत अधिकारियों की श्रेणीवार, ई.आर.सीट इन्द्राज नहीं है। अतः निर्देशित किया जाता है, कि शैक्षणिक अधिकारियों की दिव्यांगता श्रेणी में निम्नानुसार इन्द्राज करें:-

अस्थिबाधित	श्रवण बाधित	दृष्टि बाधित
H.O	H.D	H.B

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. महेन्द्र सिंह रघुवंशी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक- 1432/386/आउशि/शा-2/22

भोपाल दिनांक-14/6/22

प्रतिलिपि :-

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.को निर्देशित किया जाता है, कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक अधिकारियों की श्रेणीवार विकलांगता की जानकारी तत्काल उपलब्ध करावे।
2. वि.क.अ.आई.टी.सेल प्रभारी को निर्देशित किया जाता है, कि दिनांक 16.06.22 से दिनांक 22.06.22 तक लिंक ओपन करें, ताकि श्रेणीवार दिव्यांगता इन्द्राज की जा सके।

(डॉ. महेन्द्र सिंह रघुवंशी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, भोपाल